



# उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

(संस्था संस्थापक श्रद्धेय पं. मुरारी लाल शर्मा-अमर रहें)



पंजी० संख्या : 75-4/11-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : सुजानपुरा, ओम नगर रोड, आलमबाग बस अड्डे के सामने, लखनऊ-226005

**नीलेश रंजन राव परमार**

प्रदेश अध्यक्ष  
+91-8299684352

web.www.lekpal.wordpress.com  
Email : lekhpal.up@gmail.com

**राहुल पटेल**

प्रदेश महामंत्री  
+91-7510047049

प्रदेश उपाध्यक्ष गण

**प्रवेन्द्र सिंह**

(पश्चिमी जोन)  
मो. 9927774580

**अभिषेक कुमार मिश्रा**

(मध्य जोन)  
मो. 7905001655

**सुबोध कुमार सिंह**

(भूतपूर्व सैनिक नौ सेना)  
(पूर्वी जोन)  
मो. 9598892105

प्रदेश संगठन मंत्री गण

**भूपेन्द्र चौधरी**

(पश्चिमी जोन)  
मो. 9410215684

**सुजीत कुमार**

(मध्य जोन)  
मो. 9453993099

**आशुतोष पाण्डेय**

(पूर्वी जोन)  
मो. 9519140580

प्रदेश कोषाध्यक्ष

**दिपांशु भारद्वाज**

मो. 9149389796

प्रदेश लेखा परीक्षक

**योगेश कुमार यादव**

(भूतपूर्व सैनिक वायुसेना)  
मो. 9026766144

पत्रांक. से.सो......

सेवा में,

मा० सुरेश खन्ना जी,  
कैबिनेट मंत्री  
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

दिनांक. 03.06.2026

**विषय:-** लेखपालों के अर्न्तमण्डलीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

सादर अनुरोध करना है, कि उत्तर प्रदेश में हजारों लेखपाल गृह मण्डल को छोड़कर अपने परिवार से लगभग 500 से 800 किलोमीटर दूर सेवारत हैं, जिससे कार्य सरकार के दायित्वों के साथ पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं हो पा रहा है। चूंकि लेखपाल अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं जिसके कारण मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि **परिषदादेश संख्या- सी.1468/4-33ए/2013 दिनांक 07 सितम्बर 2018** में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में दो बार अर्न्तमण्डलीय स्थानान्तरण माननीय राजस्व परिषद द्वारा किया जा चुका है।


गत वर्ष की आनलाईन पोर्टल के माध्यम से इच्छुक लेखपालों का आवेदन प्राप्त किया गया था परन्तु कतिपय कारणों स्थानान्तरण नहीं हो पाया। अगर दूरस्थ जनपदों में कार्यरत लेखपालों का स्थानान्तरण उनके गृह मण्डल में हो जाय तो सरकारी कार्यों के साथ ही साथ पारिवारिक कर्तव्यों का भी निर्वहन हो सकेगा।

अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि दूरस्थ जनपदों में कार्यरत लेखपालों की वर्तमान स्थिति का सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके सेवाकाल में एक अवसर प्रदान कर उनका स्थानान्तरण उनके गृह मण्डल में करने का कष्ट करें।

संस्था आप महोदय की सदैव आभारी होगी।

संलग्नक:- परिषदादेश की छायाप्रति।

भवदीय

  
नीलेश रंजन राव परमार  
(प्रदेश अध्यक्ष)

फैक्स/ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव  
राजस्व परिषद, उ० प्र०  
अनुभाग-४, लखनऊ।

सेवा में,

- (1) समस्त मण्डलायुक्त  
उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या- सी 1468/4-33ए /2013

दिनांक : - 7 सितम्बर 2018

विषय- पूरे सेवाकाल में केवल एक बार लेखपालों के निजी अनुरोध पर उनका स्थानांतरण गृह मण्डल के किसी भी जनपद (गृह जनपद को छोड़कर) में किये जाने के सम्बन्ध में।


सहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1595/एक-9-2018-9 (रा)/2018 दिनांक 23.08.2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह अवगत कराना है कि लेखपाल संघ की मांगों के दृष्टिगत शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है-

" लेखपालों का कैंडर पूर्व की शीति मण्डल स्तरीय ही रखते हुये उनके पूरे सेवाकाल में केवल एक बार उनके निजी अनुरोध पर उनके गृह मण्डल के किसी भी जनपद में (गृह जनपद को छोड़कर) स्थानांतरण रिक्तियों के संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये परिषद स्तर से किया जाय। "

उपरोक्त शासनादेश संख्या 1595/एक-9-2018-9(रा) /2018 दिनांक 23.08.2018 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत होते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

  
(लीना जीहरी)  
आयुक्त एवं सचिव।

AE

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-9, लखनऊ को सूचनाार्थ प्रेषित।

(लीना जीहरी)  
आयुक्त एवं सचिव।